टेहरी गढ़वाल राजस्व पदाधिकारियों का (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1956

{उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 25, 1956}

TEHRI GARHWAL REVENUE OFFICIALS (SPECIAL POWERS) ACT, 1956

[U. P. Act No. 25 of 1956]

टेहरी गढ़वाल राजस्व पदाधिकारियों का (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1956[1]

{उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 25, 1956}

{उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 9 मार्च, 1956 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 17 जुलाई, 1956 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।}

{''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 2 अगस्त, 1956 ई0 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 4 अगस्त, 1956 को प्रकाशित हुआ।}

टेहरी गढ़वाल में राजस्व पदाधिकारियों को थानों (Police station) के अवधायक पदाधिकारी (Officer Incharge) के अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार देने का

अधिनियम

यह इष्टकर है कि टेहरी गढ़वाल के राजस्व पदधारियों को थानों (Police station) के अवधायक पदाधिकारी के अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार दिया जाय;

अतएव भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

1–– (1) यह अधिनियम टेहरी गढ़वाल राजस्व पदधारियों का (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1956 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार टेहरी गढ़वाल जिले में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

कतिपय क्षेत्रों के राजस्व पदधारियों में थाने के अवधायक पदाधिकारी के अधिकार निहित करना

2–– (1) राज्य सरकार की आज्ञा द्वारा तदर्थ घोषणा करने पर लेखपाल पटवारी अथवा ऐसा अन्य राजस्व पदधारी, जो निर्दिष्ट किया जाय, ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो निर्दिष्ट की जाय, तत्समय प्रचलित किसी विधि के अधीन पुलिस पदाधिकारी (Police Officer) अथवा थाने के अवधायक पदाधिकारी (Officer Incharge) के ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों और कर्तव्यों का सम्पादन करेंगे, जो निर्दिष्ट किए जायं, भले ही उस विधि में कोई बात इससे असंगत हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गई किसी आज्ञा में ऐसे प्रासंगिक एवं आनुषंगिक उपबन्ध हो सकते हैं, जिन्हें राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन दी गई घोषणा के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन की गई घोषणा में निर्दिष्ट लेखपाल, पटवारी अथवा राज्य पदधारी केवल उपधारा (1) के अधीन दी गई आज्ञा के अनुसार थाने के अवधायक पदाधिकारी के अधिकारों का प्रयोग करने के कारण पुलिस ऐक्ट, 1861 के अधीन नामांकित पुलिस पदाधिकारी नहीं समझा जायेगा।

धारा 2 के अधीन दी गई आज्ञा राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जायेगी

3–– (1) उक्त प्रत्येक आज्ञा की प्रतिलिपि, जिसे धारा 2 के अधीन जारी किए जाने का विचार हो, पांडुलेख के रूप में राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष, जबकि उनका सत्र हो रहा हो, 30 दिन से अन्यून अवधि के लिए रखी जायेगी और यदि उस अवधि

के भीतर कोई भी सदन उक्त आज्ञा के जारी किए जाने का अनुमोदन न करे अथवा केवल परिष्कारों सहित उसके जारी किए जाने का अनुमोदन करे तो उक्त आज्ञा जारी नहीं की जायेगी अथवा जैसा कि स्थिति अनुसार अपेक्षित हो, केवल ऐसे परिष्कारों सहित जारी की जायेंगी, जिनसे दोनों सदन सहमत हों।

(2) ऐसी प्रत्येक आज्ञा सरकारी गजट में प्रकाशित की जायेगी और ऐसे प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगी।

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 04 अगस्त, 1956 ई0 का सरकारी असाधारण गजट देखिए।

THE TEHRI-GARHWAL REVENUE OFFICIALS OF (SPECIAL POWERS) ACT, 1956[1]

[U. P. ACT NO. 25 OF 1956]

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Council on March 9, 1956 and by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on July 17, 1956.]

[Received the assent of the Governor on August 2, 1956, under Article 200 of "the Constitution of India" and was published in the Uttar Pradesh Gazette Extraordinary, dated August 4, 1956.]

An

Act

to empower the revenue official in the Janusar-Bawar Pargana of the Tehri-Garhwal to exercise the power of a Police officer-in-charge of a police-station.

Whereas it is expedient to provide for the acquisition of rights, title and interest of the intermediaries between the State and tiller of the soil in Pargana Jaunsar Bawar of Tehri-Garhwal and for the introduction of land reforms therein.

It is hereby enacted in the Seventh Year of the Republic of India, as follows : --

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Tehri Garhwal Revenue Officials of (Special Powers) Act, 1956.

(2) It shall extend to the whole of Tehri-Garhwal District.

(3) They shall come into force at once.

Investing Revenue Officials in certain areas with the powers of an Officer-in-charge of a Police Station

2. (1)Where the State Government so declares by an Order, Lekhpal, Patwari or such other Revenue Officials, as may be specified shall, subject to such respects and conditions as may be specified, exercise such of the powers and perform such of the functions and duties, as may be specified of a Police Officer or an Officer-in-charge of a police station under any law for the time being in force notwithstanding anything inconsistent therewith contained in such law.

(2)An Order made under sub-section (1) may contain such incidental and consequential provisions as the State Government may consider necessary for carrying into effect the provisions of the declaration made under sub-section (1).

(3) A Lekhpal, Patwari or the revenue official specified in the declaration under sub-section (1) shall not merely by reason of exercising the powers of a police officer or of the Officer-in-charge of a police station in pursuance of any order made under sub-section (1) be deemed to be a police officer enrolled under the Police Act, 1861.

Order under shall section 2 to be not laid before the either State Legislature

3. (1) A copy of every Order, proposed to be issued under section 2, be laid in draft before both Houses of the State Legislature for a period of less than thirty days while they are in session and if within that period House disapproves of the issue of the Order or approval of such issue only with modifications, the Order shall not be issued or as the case may required on by both the Houses.

(2) Every such Order shall be published in the official Gazette and shall take effect from the date of such publication.